Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 24-08-2005

Participants : Virendra Kumar Shri

>

Title : Need to open an office of labour welfare in Sagar, Madhya Pradesh.

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : यह लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यह सैन्ट्रल लेबर मिनिस्ट्री में आता है। यह सैन्ट्रल गवर्नमैंट से रिलेटेड है।

MR. CHAIRMAN: I will read out the subject matter of your notice. It says, "Need to open Office of the Labour Welfare in Sagar, Madhya Pradesh". What can we do? It is not the concern of the Central Government. He wants to raise the issue of opening a Labour Welfare Office in Madhya Pradesh here. Anyway, you just mention it briefly.

श्री वीरेन्द्र कुमार : सभापति जी, हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये श्रमिक विशेा रूप से कृाि और बीड़ी निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं। बीड़ी निर्माण के क्षेत्र काम करने वाले मज़दूरों की संख्या मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल राज्यों में सर्वाधिक cè[h147]।

महोदय, अस्सी लाख बीड़ी मजदूरों तथा उनके आश्रितों को समाज में बराबरी के स्तर पर लाने के उद्देश्य से बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1976 बनाया था।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चिह्नित किए गए दस लाख बीड़ी श्रमिकों में से 6 लाख के लगभग चिह्नित किए गए बीड़ी श्रमिक सागर व दमोह जिले में हैं। इंदौर संभाग में जहां मात्र 15 हजार बीड़ी श्रमिक वहां बीड़ी श्रमिक कल्याण प्रशासन का कार्यालय खोला गया है। छह लाख बीड़ी श्रमिकों की संख्या वाले केंद्र सागर में बीड़ी श्रमिक कल्याण प्रशासक कार्यालय खोलने से लाखों बीड़ी श्रमिकों को त्वरित ढंग से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इस हेतु इंदौर स्थित कल्याण प्रशासक कार्यालय को सागर स्थानांतरित करने में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार पड़े बगैर कल्याण निधि अधिनियम की सार्थकता स्थापित की जा सकती है। अतः मेरा केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय से अनुरोध है कि कल्याण प्रशासक कार्यालय सागर में खुलवाने का सहयोग करें।